an>

14.07 hrs.

–

–

The Lok Sabha reassembled after lunch at Seven minutes past Fourteen of the Clock

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of State of Jharkhand for the year 2010-2011. (Discussion concluded and demands voted in full).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No.13 − Shri Pushupati Nath Singh.

Motion moved:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 3, 4, 10, 12, 16 to 20, 22 to 24, 26, 27, 33, 35, 38 to 44, 47, 48 and 51.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): महोदय, आपने झारखंड की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह अनुपूरक मांग 1,242.71 करोड़ रूपये की है। यह अतिरिक्त मांग है। यह अनुपूरक मांग झारखंड की विधान सभा में रखी जानी चाहिए थी, लेकिन आज यह संवैधानिक मजबूरी और परिस्थितिवश लोक सभा में रखी जा रही है। एक बात के लिए हमें खुशी भी है कि अगर झारखंड विधान सभा में कोई सदस्य इस मांग पर अपनी बात रखता तो इसे केंद्र सरकार तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती, लेकिन आज केंद्र सरकार सीधे इस मांग को रख रही है। निश्चित रूप से झारखंड के लोगों की अपेक्षा केंद्र सरकार से मांग पूरा करने की रहती है। उस इच्छा की पूर्ति करने में केंद्र सरकार निश्चित रूप से सहयोग करेगी। पिछली बार सामान्य बजट पास हुआ था और आज चार-पांच महीने के बाद हम अनुपूरक बजट लेकर आये हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर यह नॉर्मल प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम इस बजट को पारित भी करेंगे। इसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती है। विकास की अभिरूचि जो राष्ट्रपति शासन में होनी चाहिए थी, अगर कुछ परिवर्तन दिखाई देता कि नई सोच के अनुसार राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार वहां के लोगों के लिए कुछ करती, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे सुखाड़ की बात हो, चाहे अकाल की बात हो, उसमें कुछ सहयोग करती, लेकिन इस अनुपूरक बजट में कहीं भी आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। इस इच्छा शक्ति का इजहार राष्ट्रपति शासन में नहीं हुआ है।

महोदय, आप झारखंड से आते हैं और जानते हैं कि महंगाई की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कई प्रदेशों के लोग इस बात के लिए चिंतित नहीं रहते कि महंगाई भी एक मुद्दा है। यह गरीबों का मुद्दा है। झारखंड में पर-कैपिटा इनकम यानी प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की औसत सिर्फ 24 हजार रूपये है। उस जगह पर अगर दो हजार रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसत आय हो तो उस राज्य के लोगों को महंगाई की कितनी चिंता हो सकती है? वह आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन सरकार ने उस पर भी चिंता नहीं की है। सुखाड़ और महंगाई के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि सुखाड़ से किस प्रकार लड़ा जाएगा। वहां के अकाल पीड़ित लोगों को हम किस प्रकार से राहत देंगे। वहां के किसानों को पिछले साल से अब तक फसल बीमा योजना के तहत भुगतान नहीं किया गया है। यहां तक बात होती, तो समझ सकते थे। खेतिहर मजदूरों को इस समय पर रोपनी पर जो रोज़गार मिलता था, वह भी नहीं मिल रहा है। वे लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं या पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। सरकार को निश्चित रूप से इस बात की गंभीरतापूर्वक चिंता करनी चाहिए कि वहां सूखे, अकाल और महंगाई के मुद्दे पर हम झारखंड के लोगों को कैसे राहत दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले सदन में शोर-शराबे के बीच वहां राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन हो गया। उस दिन यदि बोलने का मौका मिलता तो राष्ट्रपति शासन के औचित्य पर माननीय सदस्य चर्चा करते।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं कि झारखण्ड राज्य को बने हुए दस वर्ष हो चुके हैं और नौ बार सत्ता का परिर्वतन वहां हो चुका है। एक साल औसत आयु झारखण्ड सरकार की रही है। जिस सरकार की औसत आयु एक साल रही हो और दो बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, वहां की अराजकता का कारक कौन है? मुझे लगता है इस के पीछे यूपीए सरकार है। 15 नवम्बर भगवान बिरसा मुण्डा के जन्मदिन पर यह राज्य बना। रात को 12 बजे मुख्यमंत्री को शपथ लेनी थी और रात से ही झंझट शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने शिबू सोरेन जी को बहुमत न होते हुए भी मुख्यमंत्री बनाना चाहा। उसी दिन से सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। वर्ष 2005 में चुनाव हुए। इसमें खंडित जनादेश प्राप्त हुआ, लेकिन वह एनडीए के पक्ष में था। वहां के राज्यपाल ने जबरदस्ती शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस मामले में न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इस सब में यूपीए सरकार की भूमिका रही क्योंकि शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर वहां का शासन अपने हाथ में करने की कोशिश थी। वे 9 दिन के बाद हट गए। उसके बाद अर्जुन मुण्डा की सरकार आयी। उनकी सरकार ने एक से एक कार्य करने प्रारम्भ किए। जिसमें कन्यादान योजना, डेढ़ लाख रूपये गरीबों के इलाज के लिए देने प्रारम्भ किए, पंडित दीनदयाल आवास योजना को प्रारम्भ किया। जिन गरीबों को इंदिरा आवास योजना से घर नहीं मिलता, उन गरीबों को पंडित दीनदयाल आवास योजना से आवास दिलाने की योजना प्रारम्भ की। जब अच्छे काम करना प्रारम्भ किया तो वह यूपीए को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां के एक मंत्री को लोभ देकर, एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया। श्री मधु कौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया। मधु कोड़ा जी, आज जो इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं, उन्हें मुख्य मंत्री बनाने का काम किया। यह सर्वविदित है।

आज दुनिया के लोग जान रहे हैं कि डेढ़ वर्षों के काल खंड में चार हजार करोड़ रुपए की लूट उनके मंत्री परिषद ने की। कांग्रेस के नेता वहां जाते थे और अपनी पीठ थपथपाते थे। वे कहते थे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी और ईमानदार है। इस सरकार के डेढ़ वर्षों के कार्यकाल में मुख्य मंत्री सहित, तीन-तीन, चार-चार मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण तब हुआ, जब उन्हें हटा कर कांग्रेस ने शिबू सोरेन जी को मुख्य मंत्री बनाया। अब शिबू सोरेन जी विधान सभा का चुनाव हार गए। यह भी एक इतिहास बना। निर्दलीय को मुख्य मंत्री और निर्दलीय का मंत्री परिषद् भारत के इतिहास का एक नमूना कांग्रेस ने झारखंड में पेश किया। दूसरी तरफ आप देखें, उसके बाद आगे के काल खंड में चलें तो देखेंगे कि शिबू सोरेन जी के बाद राष्ट्रपति शासन आया। वहां दो वर्षों में दो बार राष्ट्रपति शासन लगा और तीन-तीन राज्यपाल हुए। एक ...(व्यवधान) * राज्यपाल हुए। इनके भ्रष्टाचार के कारनामें जगजाहिर हुए। उनके प्रिंसिपल सैक्रेट्री आईएएस और पी.ए. के घर पर छापे पड़े और अरबों रुपए की सम्पत्ति पकड़ी गई। पूरे देश में राज्यपाल की बदनामी हुई, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई सजा नहीं दी, डिसमिस नहीं किया, बल्कि उन्हें झारखंड जैसे छोटे राज्य से हटा कर असम का राज्यपाल बना दिया, बड़े राज्य का राज्यपाल बना दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इन परिस्थितियों का निर्माण क्यों किया, किसी तरह से सत्ता अपने हाथ में रहे, यूपीए, कांग्रेस के हाथ में रहे। यह हमेशा प्रयास होता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सन् 2005 के चुनाव के बाद सन् 2010 में चुनाव हुए, उसके बाद की परिस्थिति को भी आप देखें। निश्चित रूप से लगता है कि झारखंड को अस्थिर करने का काम यूपीए सरकार ने किया, क्योंकि सरकार चल रही थी, खंडित जनादेश था और खंडित जनादेश में जो भी लोकप्रिय सरकार हो सकती है, यह नहीं कह सकते कि किसी के बस की बात नहीं थी कि हम सरकार बना लें। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी को लाकर कटौती प्रस्ताव में वोट दिलाने का काम, कांग्रेस, यूपीए सरकार ने किया। यह अनैतिक काम किया है। राज्य में वह मुख्य मंत्री एनडीए के साथ और केन्द्र में यूपीए के समर्थन में वोट डालता हो, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अनैतिकता को बढ़ावा नहीं देंगे। इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई। पूरे राज्य और देश में प्रशंसा हुई कि भारतीय जनता पार्टी का यह कदम निश्चित रूप से क्रंतिकारी कदम है, नैतिकता के आधार पर उठाया गया कदम है। आप सोच सकते हैं कि इन परिस्थितियों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई, जिससे सत्ता अपने हाथ में रहे। झारखंड में अगर आधार है तो वह एनडीए का आधार है। उसके बल पर हम लोग लोक सभा का चुनाव लड़ रहे थे और उस समय महंगाई एक मुद्दा थी, उसने दिल्ली को प्रभावित नहीं किया, जहां औसत आय एक लाख 77 हजार हो, उसे प्रभावित नहीं किया, उसे प्रभावित किया, जिस राज्य में 24 हजार और 14 एमपीज़ की सीटें हैं, कांग्रेस को सिर्फ एक एमपी झारखंड में मिला, सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां ऐसी गरीबी है, जहां महंगाई है, वहां के लिए निश्चित रूप से केन्द्र में बैठी हुई सरकार जो सिर्फ बड़े-बड़े लोगों की चिन्ता करती है, गरीबों की चिन्ता नहीं करती। उसे वहां का ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि उस सरकार के 14 सांसदों में से केवल एक एम.पी. झारखंड से जीतकर आया। अब सोच सकते हैं कि वे कितने सौभाग्यशाली रहे। वहां से जीतकर आए और केन्द्र में मंत्री बन गए। अब उनके रहते हुए मंत्रिपरिषद में क्या बात होती है, कितना सहयोग वे कर पाते हैं, ये तो वही बताएंगे। कल जब यहां चर्चा हो रही थी कि बिहार और झारखंड को स्पेशल पैकेज दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह झारखंड की आवश्यकता है और मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार उसकी विशेष मदद करे। अगर विशेष मदद केन्द्र सरकार नहीं करेगी, तो जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य बना है, वह विफल हो जाएगा। जब झारखंड एक नया और अलग राज्य बना, तो उस समय यह उद्देश्य था कि हम आदिवासी-बहुल लोगों के जीवनस्तर को किसी प्रकार से सुधारने का काम करें, लेकिन यह काम नहीं हो पा रहा है।

महोदय, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें चिन्ता होती है। भारत की संसद के सदस्य हैं। राष्ट्रपति शासन में बी.पी.एल. की सूची बनी। उसमें भी बड़े घोटाले हुए। उसमें जो गरीब थे उनके नाम नहीं चढ़ाए गए और जो अमीर थे, जिनके दो और तीन मंजिला मकान थे, उनके नाम चढ़ा दिए गए। इसलिए पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों की मांग है कि वहां की बी.पी.एल. सूची में सुधार हो।

महोदय, कल जब यहां चर्चा हो रही थी और वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि आज बी.आर.जी.एफ. नरेगा और डी.आर.डी.ए. वगैरह अनेक स्कीमें हैं जो ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं। डी.आर.डी.ए. की जो लिस्ट बनती है, उसे ऑफीसर बनाते हैं, वही पास होकर जाती है। वह लिस्ट कैसे बनती है, वह भी मैं बताना चाहता हं कि वह गरीबों के हित की

लिस्ट नहीं बनती है। यदि मैं यह कहूं कि वह ठेकेदारी-ओरिएंटेड लिस्ट बनती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस लिस्ट में कॉंट्रैक्टर ओरिएंटेड कामों की लिस्ट बनती है। उसमें कॉंट्रैक्टर को किस तरह से फायदा हो, यही देखा जाता है। जंगलों में सड़क बना दी। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से यदि राष्ट्रपति के शासन में काम होगा और जनप्रतिनिधि तथा जनता की बात नहीं मानी जाएगी, तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार हम काम करने में असमर्थ हो जाते हैं।

महोदय, आज झारखंड की दयनीय स्थिति है। उसके पीछे के इतिहास को मैंने बताया। आप भी जानते हैं कि अविभाजित बिहार में कई प्रकार को घोटाले हुए, फिर चाहे वह चारा घोटाला हो, लकड़ी घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, सारे घोटाले हुए। उसके बाद जब झारखंड राज्य बना, तो झारखंड में और घोटाले हुए। मुख्य मंत्री द्वारा घोटाले हुए, जिनमें से एक घोटाले में तो एक व्यक्ति ने डेढ़ वर्ष में चार हजार करोड़ रुपए कमा लिए। लोग कहते हैं कि वहां की जो आधारभूत समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां विकास नहीं है, वहां उग्रवाद है। अगर वहां आपने विकास किया होता और जो धन यहां से उसके विकास के लिए गया था, उसके घोटाले अगर नहीं हुए होते, तो निश्चित रूप से आज देश के सामने जो उग्रवाद की चिन्ता है, वह नहीं होती। वहां लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 365 दिन में से 100 दिन उग्रवादियों द्वारा झारखंड बन्द रखा जाता है। उग्रवादियों द्वारा बन्द का जब भी आह्वान हो जाता है, झारखंड बन्द हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री पशुपति नाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट और बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पारित भी करना है। इसलिए कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें। इस पर और लोग भी इस पर बोलने वाले हैं।

श्री पशुपति नाथ सिंह : उग्रवादियों द्वारा जब बन्द का आह्वान हो जाता है, तो पुलिस घर में दुबकी रहती है। थाने के गेट में ताला बन्द हो जाता है और वे दुबके रहते हैं, जनता भी बेचारी लाचार, बेबस अपने घरों में दुबकी रहती है और सारी चीज़ें ठप्प हो जाती हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां सरकार नाम की कोई चीज है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इससे सारे लोग दुखी भी हैं। अगर वे दुखी हैं तो इसका समाधान खोजना चाहिए।

झारखण्ड में इस बात की चिन्ता है कि अभी पिछले विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा कोशिश की गई कि सत्ता मेरे हाथ में आ जाये और जे.बी.एम. के साथ इन्होंने चुनावी गठबन्धन किया। चुनावी गठबन्धन के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद कहा कि नहीं, हमारा चुनाव तक गठबन्धन था। यह कांग्रेस सरकार, यू.पी.ए. सरकार आदिवासी विरोधी है। अभी तीन दिन पहले इनके घटक दल, जिनके साथ इन्होंने गठबन्धन किया, माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस बात को कह रहे हैं कि यह सरकार आदिवासी विरोधी है, केन्द्र सरकार आदिवासी विरोधी है। अब चिन्ता होती है कि अगर केन्द्र सरकार उसका विकास चाहती है तो निश्चित रूप से जिन मुद्दों को हमने उठाया है, आज की परिस्थिति में चाहे वह महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वह सुखाड़ का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे वहां उग्रवाद का मुद्दा हो, निश्चित रूप से इसका समाधान केन्द्र सरकार के द्वारा हो।

एक आपने देखा कि ट्रंसफर पोस्टिंग का राष्ट्रपति शासन में इतिहास बन गया। एक दिन में 42 आई.ए.एस. का ट्रंसफर कर दिया गया। अरे भाई, आप क्या चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो या चुनाव की तैयारी कर रहे हो या अपने मन के मुताबिक आप लूट कर रहे हो। हम लोग तो जब पूरा बिहार जल रहा था और बिहार में लगता था कि लालू जी की तूती बोल रही है, उस समय 3-3 बार विधायक बने। उस समय उनके खिलाफ विधायक हुए तो ये आफिसर अपने मन के मुताबिक करके, उनको डिमोरलाइज़ करके, जो आफिसर्स ईमानदार हैं, जो 3-4 महीने में डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर होने वाले हैं, उनका भी ट्रंसफर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पशुपति नाथ सिंह : अब हम समाप्त करते हैं, आपके प्रति बहुत आभारी हैं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants of the Government of Jharkhand for the year 2010-11. We all know that President's Rule has been imposed on the State of Jharkhand. Under article 356 of the Constitution the powers of the Legislature of the State of Jharkhand are exercisable under authority of Parliament.

This is the first Supplementary Demands of the current fiscal year for the State of Jharkhand. The Demands have arisen on account of emergent need and a total additional demand has been sought to the tune of Rs. 1242.71 crore. The Grant awarded by the 13th Finance Commission for the State for the Award period 2010-15 is to the tune of Rs. 7232.36 crore, out of which Rs. 728.30 has been awarded for the current financial year. As per the Padmanabhan Committee, the Privy and Purse clause necessitated additional amount of Rs. 28.24 crore to meet the hike in Demands.

The State Plan sector also gets an additional amount of Rs.510 crore. The non-Plan expenditure of the State is going to increase by Rs. 645.28 crore. It is found that as per Plan expenditure, it is Rs. 590 crore and for non-Plan, it is Rs. 652.01 crore have been sought in the Supplementary Demands for Grants. As per the Plan demands are concerned, I must

appreciate that a sum of Rs. 200 crore is being provided for construction of rural roads in two Left Wing Extremists districts as per the recommendation of the Planning Commission. The additional demand for capital expenditure has been estimated as Rs.220 crore and Rs. 728.30 crore is to be received on account of the recommendation of the 13th Finance Commission. Thus, the additional burden on the State exchequer has been estimated at Rs. 418.69 crore. It is Rs. 198.69 crore for non-Plan side and Rs. 220 crore for Plan expenditure.

Sir, Jharkhand is a newly carved out State alongwith Chhattisgarh and Uttarakhand which we are all aware of. It is a mineral rich State and also 28 States of our country. Nearly 40 per cent of minerals and coal are procured from this State. If I give you the statistics, you will know the position. In so far as iron ore is concerned, it is first in the country. In coal sector, it is in the third position. In copper ore, it is in the first position, in mica, it is in the first position and in bauxite, it is in the third position. It is in the first position in uranium and it is in the sixth position in the country as far as gold is concerned, let alone other precious minerals. But the fact is that the aspiration of the common people of Jharkhand has been debunked because Jharkhand is still lagging behind in all socio-economic parameters. If you compare it with the other two newly carved out States, the siblings of Jharkhand, namely, Uttarakhand and Chhattisgarh, then you will find it easy to ascertain that over the years, Jharkhand has been the victim of political instability, corruption and lately, Maoist bloodshed. उधर से हमारे बुजुर्ग नेता कह रहे थे कि यूपीए की सरकार सारी गड़बड़ी करती है। अगर इस देश में सूखा होगा तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि यह यूपीए सरकार का दोष है। अगर हिंदुस्तान में बारिश होगी या बाढ़ आएगी, तो भी ये लोग कहेंगे कि यह यूपीए सरकार का दोष है। मैं बुजुर्ग नेता को यह कहना चाहता हूं कि

From the year 2000, the year when Jharkhand State was carved out, who was the first Chief Minister of Jharkhand? It was Shri Babu Lal Marandi. To which party he belonged? It was the BJP to which he belonged to. The second Chief Minister of Jharkhand was Shri Arjun Munda and his party affiliation was BJP. The third Chief Minister of Jharkhand was Shri Shibu Soren who belonged to Jharkhand Mukti Morcha. The fourth Chief Minister of the State was Shri Arjun Munda who also belonged to BJP. Then came Shri Madhu Koda who was an independent. Then came Shri Shibu Soren belonging to JMM.

उन्होंने वहां हमारी पार्टी का सीएम कब देखा? जब झारखंड सरकार का जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक यानी वर्ष 2000 से 2010 तक सबसे ज्यादा समय तक सरकार किसने चलाई, यह आपको सोचना पड़ेगा। वहां किसी सरकार की आयु ज्यादा दिन तक नहीं रही। आप कहते हैं कि यूपीए सरकार ने सारी गड़बड़ी कर दी। पिछले कई महीने श्री शिबु सोरेन के पीछे कौन सी पार्टी के लीडर चक्कर काटते थे? कितनी बार बीजेपी के लीडर दिल्ली से झारखंड गए थे, आपको यह हिसाब रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जब झारखंड का जन्म हुआ, तब वह सरकार के बजट में सरप्लस था। But see the condition of Jharkhand now. Out of 35 States including Union Territories of India, Jharkhand has been ranked as 32nd State. Out of five persons in Jharkhand, three persons are not able to meet their minimum needs. That is the state of affairs in Jharkhand.

As per the Hunger Index of India, Jharkhand belongs to extremely alarming State after Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is run by the BJP and Jharkhand has been run most of the time by the BJP. Where there is BJP, there is a problem; where there is Congress there is prosperity. This is the reality of our country.

I would suggest that though this State is rich in minerals, we should not confine our attention only to mineral extraction. Of course, it is a mineral rich State. But the fact is that other sectors have been neglected as most of the concentration has been only on mineral extraction. That is why agriculture has not been developed. More funds need to be infused into the agriculture sector. There is a huge potential in Jharkhand for large manufacturing. It is because of the same reason that there is a huge wealth of mineral, it can generate huge employment.

The main problem of Jharkhand, the typical problem of Jharkhand is the poor state of governance. Some kind of reform should be injected in the governance of Jharkhand. The web of corruption has been eating into the vitals of Jharkhand. Even Secretaries and other bureaucrats have been implicated by the CBI. This is quite disgusting for us. Former Finance Minister, Shri Yashwant Sinha, has made a statement in this regard. I would like to quote him here. He said: "Jharkhand has been the victim of bad governance and corrupt bureaucracy. Therefore, Jharkhand has been in a very bad plight."

सिर्फ यूपीए सरकार सारी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार है और बीजेपी कुछ नहीं जानती, छोटे-छोटे बच्चे हैं, यह बोलना ठीक नहीं है। झारखंड के लोग अब कह रहे हैं कि बिहार में चल जायेंगे, क्योंकि जब बिहार में थे तब हम अच्छे थे। अब बिहार से निकलकर हमें और ज्यादा खर्च करना पड़ता है, यह झारखंड की आम जनता कहती है। अगर झारखंड में कुछ खराबी है, तो जिस पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा राज किया, तो उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2010-11 के लिए झारखंड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अपने दल से अकेला बोलने वाला सदस्य हूं। आपने समय सीमा भी निश्चित कर दी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है। यहां पर पक्ष-प्रतिपक्ष के सम्मानित साथियों के विचार और सुझाव आये हैं। अगर देखा जाये तो यह सत्य है कि हम अलग राज्य बनाने की बात करते हैं। अलग राज्य बनाकर हम अपने संसाधन पर, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने राज्य का विकास करेंगे, ऐसा बहुत से नये राज्यों ने कहा चाहे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड हो। तमाम ऐसे राज्य बने, लेकिन जहां तक मेरा दल और मेरे नेता का सवाल है, हम राज्य के बंटवारे के हमेशा खिलाफ रहे हैं।

जैसा अभी अधीर रंजन जी ने चिंता व्यक्त की कि राज्यों के बंटवारे से कभी फायदा होता है और कभी नुकसान भी होता है। जैसे उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब वहां के लोग कहते हैं कि हम पहले बिहार में थे, तो अच्छे थे। अब खैर राज्य बन गया, उसमें कोई चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन जहां तक देखा जाये कि जब से यह राज्य बना, वहां तमाम राजनीतिक उथल-पुथल हुई। पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार लगी। कुछ घोटाले भी उजागर हुए, जिनकी जांच चल रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। जहां तक देखा जाये कि संसद में, इस विषय में सम्मानित सदस्यों ने हमेशा राज्यों के उत्थान, केन्द्र और राज्य के आपस के सहयोग के बारे में बराबर चर्चा की है। मुझे याद है कि संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में सभी 189 देशों ने आठ बिन्दुओं पर शपथ ली थी कि वर्ष 2015 तक हम अपने यहां गरीबी दूर करेंगे। कुछ ने कहा कि हम भुखमरी का अंत कर लेंगे। इसी के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर और मातृत्व, स्वास्थ्य के सुधार और पर्यावरण संतुलन पर बात हम विदेशों मे करके आते हैं, संकल्प लेकर आते हैं कि अपने देश में जाकर हम इसे पूरा करेंगे। समय-समय पर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे राज्य हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, वहां के मुख्यमंत्रियों की हमेशा डिमांड रही है कि हमारे राज्य के विकास में कम से कम केन्द्र विशेष ध्यान दे, विशेष पैकेज दे, ताकि हमारा राज्य तरक्की करे और हम जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जायें।

जहां तक देखा गया कि झारखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहां का जो सामाजिक वातावरण है, उसके मुताबिक वहां जो प्राकृतिक सम्पदा है, तमाम संसाधन हैं, अगर उसे हम डेवलप कर लें, तो मेरे ख्याल से, जैसे अभी सम्मानित सदस्य चर्चा कर रहे थे, हम बेरोजगारी और तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अभी तक हम लोग आतंकवाद से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ राज्यों में नक्सलवाद भी फैला है। कल ही हमारी अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही थी, उसमें 14,000 करोड़ रुपये से नक्सलवाद प्रभावित 26 जिलों के विकास की बात कही गयी। ईश्वर करे कि उस राज्य में नक्सलवाद खत्म हो, नक्सली भाइयों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए उनके क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। सरकार की तरफ से कभी जवाब आता है कि हम सख्ती से निपटेंगे और इसका खात्मा कर देंगे, लेकिन सख्ती से हम किसी बात से निपट नहीं सकते हैं। हमको उसकी जड़ में जाना होगा, हमें बैठकर बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहिए। यह देखना कि कहां पर समस्या की जड़ है, क्यों ऐसी समस्या शुरू हुई है। मैं ज्यादा बातें न कहते हुए, अनुपूरक अनुदानों एवं विनियोग विधेयकों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): महोदय, आपने मुझे झारखण्ड के सप्लीमेंटरी बजट, 2010-11 पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

यह बजट 12 लाख 42 हजार 71 करोड़ रुपये का है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाते हुए कुछेक बातें कहना चाहती हूं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए 1.20 करोड़ रुपये, हेल्थ के लिए 14.48 करोड़ रुपये, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए 5,30 करोड़ रुपये, लेबर इम्प्लायमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए 2.20 करोड़ रुपये और वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 10.15 करोड़ रुपये रखे हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जो वहां के साधारण लोगों से जुड़े हुए हैं। Jharkhand holds 40 per cent of the nation's mineral wealth and it contributes to over 40 per cent of India's coal production and iron ore. लेकिन हम लोग देखते हैं कि झारखण्ड के जो मूल लोग हैं, about 57 per cent of the children are malnourished; more than 70 per cent of the children are anaemic and 60 per cent of the children are severely underweight. 90 प्रतिशत घरों में अभी तक पीने के पानी, टॉयलेट आदि की सुविधा नहीं है। यह राज्य वर्ष 2000 में बना था, एनडीए के शासनकाल में, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि छोटा राज्य होकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वहां अभी तक पंचायत के इलेक्शन नहीं हो पाए, इसकी वजह से पंचायत से जुड़े हुए जो भी काम हैं, वे नहीं हो पा रहे हैं। आईसीडीएस, मिड डे मील, पीडीएस सिस्टम, एनआरईजीए आदि सभी योजनाओं का कोई काम वहां नहीं हो पा रहा है। जैसे बीपीएल और अंत्योदय योजना की बात है, वहां जिन लोगों को बीपीएल कार्ड मिलने चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं। झारखण्ड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी वहां प्रेसीडेण्ट्स रूल है, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है, इसीलिए हम आज यहां इस पर चर्चा कर रहे हैं। वहां जो ड्रॉउट चल रहा है, last year, the mismanagement of the drought situation in the State has led to an extremely serious food and nutrition crisis. लेकिन उधर कोई पैसा पहुंचा नहीं है। वहां एग्रीकल्चरल लैण्ड 18 प्रतिशत है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज्यादा ट्राइबल पीपुल हैं, लेकिन वहां के लोगों को बहुत परेशानी है। अभी वहां प्रेसीडेण्ट्स रूल है, इसलिए हम चाहते हैं कि उधर राज्य में इलेक्शन होने चाहिए। Why has the Assembly not been dissolved? Why are the people of Jharkhand not given an opportunity to elect their own State Government?

अगर वहां अच्छी और स्थाई सरकार होगी तो राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी काम कर सकेगी। हम लोग यह भी चाहते हैं कि वहां पंचायत के चुनाव शीघ्र से शीघ्र हों, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें राहत मिल सके।

झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, वहां जंगलों की भरमार है। ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वैलर्स (रिकोग्निशन आफ राइट्स) एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन वहां अभी तक नहीं हुआ, यह करना होगा। इसके अलावा वहां पर पीडीएस की हालत बहुत खराब है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अव्यवस्था के चलते वहां पर स्टारवेशन की संख्या 47 तक पहुंच गई है। इसलिए इसे भी ठीक करने की जरूरत है।

झारखंड माइनिंग स्टेट भी कहलाती है। वहां पर कोयला और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन उनका भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। उसे रोकने के लिए मेरी सरकार से मांग है कि गैर कानूनी खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और इन्हें पीएसयू के तहत लाया जाए। यह बहुत जरूरी है और केन्द्र सरकार को यह जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके न होने से वहां भ्रष्टाचार भी काफी फैल गया है, जिसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी किया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारा माइनिंग का काम निजी लोगों के पास चला जाएगा और वहां की जनता की हालत में कोई सुधार नहीं होगा। राज्य में राजनैतिक अस्थिरता के चलते बार-बार मुख्य मंत्री बदले जाते हैं, जिससे वहां विकास के कार्य अवरूद्ध होते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हमने छोटे राज्य बनाए थे और झारखंड भी उसी परिप्रेक्ष्य में बना था, लगता है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

झारखंड राज्य में नक्सलवाद की भी एक समस्या है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहां पर आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। केन्द्र सरकार को इस समस्या का तुंत हल निकालना चाहिए। इसके अलावा वहां रोज-रोज बंद होते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां की वर्तमान विधान सभा को भंग करके नए चुनाव कराए जाएं, जिससे वहां स्थाई सरकार आने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here to deliberate on the Supplementary Demands for Grants of the State of Jharkhand for 2010-11. This is a constitutional requirement. The President's Rule is imposed in Jharkhand and we do not know how long it will continue. The expectations are that the election to the Jharkhand Assembly may be held along with that of Bihar. However, this expectation is not being shared by many. Some say that the election to Jharkhand Assembly may be held after seeing the result of the Bihar Assembly election.

Last time, when we discussed about the imposition of the President's Rule in Jharkhand, I had expressed my apprehension as to how long there would be President's Rule in Jharkhand. An assurance was given that as soon as things normalize there we would see that an elected Government is formed in Jharkhand. But today more than two months have already passed, but we may have to wait for another two months. It is like waiting for the inflation to come down. After two months we are told again to wait for another two months.

As far as the President's Rule is concerned, it is an emergency measure. But at times, when you go on continuously administering that medicine to a patient, he becomes immune to that medicine and there the trouble starts. Some say that everything is normal in Jharkhand. But the House has just heard that perhaps the creation of Jharkhand was not conducive and that gives rise for challenges to the leadership of respective political parties.

A question also arises whether the elected representatives, the persons who are in public life, are not fit. I am not posing that question here.

But that question also had arisen before we attained Independence, that if, independence is given to this country, it will be thrown to chaos. That time, Mahatma Gandhi, Father of the nation, had said, "You first leave this country and give it to us, then we will manage or not manage that responsibility is ours".

I would repeat here, allow the mandate to be reflected in the administration of Jharkhand. Mistakes are committed by everyone, they may do mistakes, but through mistakes they will learn and can run their State efficiently. But the larger question is, division of States has occurred in the later part of 1960s. The first division was of the State of Punjab. Himachal Pradesh became a successful small State. Haryana also became a successful story. Division of States also took part in the North-East. But there we found certain problems. Assam was divided into many States, but problems cropped up there. Insurgency is still there, though of a lesser magnitude, but we have framed a different law and in a way forces are there to control law and order situation.

In 2000, three States were divided as per the decision of their respective Assembly, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. Uttrakhand is doing well, to a greater extent Chhattisgarh is also doing well. But in Jharkhand we find a fractured mandate.

In a fractured mandate, as it was happening in Goa, as long as fractured mandate is there, leadership is not that much forceful to run a Government. But fractured mandate also was in Uttar Pradesh. The whole onus lies with the people. Fractured mandate is a reflection of the fractured idea that we have in a society. If a society is fractured, mandate also will be fractured. But in Uttar Pradesh, till the Uttar Pradesh election was there, this idea was being floated perhaps for the smaller States because of fractured mandate a good efficient Government is unable to be formed. But my belief is to consolidate the society and to ask for a mandate.

In Jharkhand, two major political parties are involved, it is the Bharatiya Janata Party and it is the Indian National Congress. The regional parties are also there. The Jharkhand Mukti Morcha and other regional parties are there. I would say that greater responsibility is before the national parties as well as before the regional parties of that State to consolidate the society so that a good mandate can come up so that Jharkhand can prosper.

We have to support this Bill. It is a constitutional requirement. Jharkhand has seen, I think, four Chief Ministers in different periods. Jharkhand has great leaders to lead that State. While mentioning this, I would only wish that as soon as President's Rule goes, Jharkhand will prosper.

15.00 hrs.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir for giving me an opportunity to speak on the Jharkhand Appropriation Bill. Many hon. Members of Parliament have discussed about this matter in this august House. In the regime of NDA Government, Jharkhand has been separated from Bihar; Chhattisgarh has been separated from Madhya Pradesh; and Uttarakhand has been separated from Uttar Pradesh.

Today what is the position of Jharkhand? On 15th November 2000, Jharkhand came into existence as a separate State. What are we seeing after 10 years of its existence? Two general elections have been held in 2005 and 2010. The Government is not stable in Jharkhand; therefore there has not been a proper development in that State. On the one hand, Jharkhand is a backward State, on the other hand, Jharkhand is a resourceful State having abundant mines, minerals and coal. But due to lack of development of the society, most of the people there belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC categories. People in the remote villages there are not getting any relief from the Government. It is because, for a long time, ever since it was a part of Bihar, no panchayat elections were held in Jharkhand. So, my suggestion is that since it is now under the Governor's rule, panchayat elections must be held there for the benefit of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs, and above all, for the development of the Jharkhand State. As far as its development is concerned, there are burning problems like the right of the forest dwellers to '*jal, jangal, jameen*', and Rehabilitation of the displaced persons in Jharkhand. People are facing a lot of difficulties. Most of the villages there lack drinking water; most of the villages lack toilet facilities.

Jharkhand State is in the border of my Parliamentary constituency, Purulia. I belong to Purulia in West Bengal; it is adjacent to the Jharkhand State. The amount allotted to Jharkhand in this Budget is not so much. My humble submission to the Government, through you, is that the Government must allot more money for the benefit of the people of Jharkhand especially the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs. It does not matter whether there is NDA rule or the UPA rule, we want development of Jharkhand. The election is going to be held but the Government is not stable there. There is Governor's rule in Jharkhand. The people of Jharkhand are having so much hope for the development of their State. So, my humble submission to you is that more amount should be allotted for development of Jharkhand specially development in the field of education, village-level development for the benefit of the people of Jharkhand, those who have hoped that after separating from Bihar they will develop their State. They will develop their State but corruption is going on in spite of the development. I would humbly submit to the Government, through you, Sir, to look into this matter. I hope that the hon. Minister will look into this matter.

With these words, I conclude my speech.

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के संबंध में बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। चूंकि मैं बोलने की इच्छा पहले से रखा था और हमारे मित्र बड़े भाई श्री पी.एन.िंसह जी ने मेरा नाम लेकर कुछ कहा है, इस नाते मुझे बोलने पर मजबूर किया है। आज झारखंड का जो अनुपूरक बजट लाया गया है और सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में आज राष्ट्रपति शासन है। उससे झारखंड का सामाजिक परिवेश काफी प्रभावित होने वाला है। इसीलिए हम लोग झारखंड को संचित निधि में से देने जा रहे हैं। चंकि मैं उस राज्य का मख्य मंत्री रहा हं, इसीलिए मैं बड़ी नजदीकी से जानता हं कि वहां की

सामाजिक या भौगोलिक परिस्थिति क्या है। आज कुछ देर पहले मेरे बड़े भाई पी.एन.सिंह जी कह रहे थे कि वहां पर निर्दलीय को राज्य सत्ता सौंप दी गई और डेढ़ साल में लूट मचा दी। उनको पता होना चाहिए कि इसी निर्दलीय के वोट से 2005 में उनकी भी सरकार बनी थी। उस समय मैं लुटेरा नहीं था, उस समय मैं कोई घोटालेबाज नहीं था। आज हम घोटालेबाज हो गये। आज जो लोग उधर बैठे हुए हैं, वे अपने आप को आदिवासी का हिमायती कहते हैं।

मैं बताना चाहूंगा ...(व्यवधान) झारखंड के साथ अगर सबसे ज्यादा बेईमानी किसी ने की है तो वह एनडीए वालों ने की है। मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी का विरोधी यूपीए नहीं है, एनडीए वाले लोगों ने सब जगह विरोध किया है। हमारे चीफ शैडयूल एरिया को जो झारखंड का आधे से ज्यादा चीफ शैडयूल एरिया आता है, एनडीए वालों ने षडयंत्र करके उस चीफ शैडयूल एरिया को डीनोटिफाइ करके उसे ज्वलंत बनाने का काम एनडीए वालों ने किया है। रांची जिला जो हमारे शैडयूल एरिया में आता था, एनडीए वालों ने शैडयूल एरिया को काटकर हटा दिया था। मैं उस समय मुख्य मंत्री था। मैंने इस बात को केन्द्र सरकार के संज्ञान में लेकर आया। यूपीए की सरकार थी। उसके बाद उसको फिर से डीनोटिफाइ करके शैडयूल एरिया में लाया गया। ये लोग अपने आप को आदिवासी के हितैषी कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी का कोई हितैषी है तो वह हमारी यूपीए की सरकार है। वहां जो हमारा पारंपरिक सिस्टम है, जो स्थानीय निकाय हैं, जो स्थानीय लोगों की अपनी व्यवस्था है, अगर उसे किसी ने मजबूत करने का काम किया है तो वह हमारी यूपीए की सरकार जो झारखंड में थी, उन्होंने उसे मजबूत करने का काम किया है। उन लोगों को मान देने का काम हमारी यूपीए सरकार ने किया है। मैं यह कहना चाहूंगा आज यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, नकसल प्रभावित क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नकसलवादी घटनाएं अगर घटी हैं तो एनडीए सरकार के समय में घटी हैं।

जब झारखंड बना था तब 18 जिले थे। 16 जिले उग्रवाद क्षेत्र थे, पांच साल बाद पूरे 18 नहीं 24 जिले उग्रवाद क्षेत्र हैं। ...(व्यवधान) जब मैं आपके साथ था तो बहुत अच्छा था और अब अलग हो गया हूं तो बदनाम हो गया।...(व्यवधान) इन लोगों ने वहां के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं दी। झारखंड के लोगों के हाथ में सत्ता देने का काम यूपीए ने म्युनिसिपलटी का चुनाव कराकर किया। इन लोगों ने नहीं करना चाहा। इन लोगों का, एनडीए का व्यवहार बहुत नकारात्मक रहा है। झारखंड में सबसे पहले पांचवें वेतन आयोग का भुगतान यूपीए सरकार के समय में हुआ। झारखंड बनने के बाद छः और सात साल बाद भी पंचम केन्द्रीय वेतन एनडीए ने नहीं दिया, पर यूपीए सरकार के समय में भुगतान दिया गया है। अगर विकास को सही दिशा में ले जाना है तो विकास का पैमाना जाति के नाम पर नहीं हो सकता, यह धर्मनिरपेक्षता पर होना चाहिए। एनडीए वालों ने यह नहीं किया और उसी का नतीजा है कि ये लोग उधर बैठे हैं। मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं और झारखंड को जरूरत भी है। ...(व्यवधान) मैंने जो काम किया है उसे एनडीए वाले नहीं कर पाए है और करेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। ...(व्यवधान) आज हमारे ऊपर अरबों करोड़ों रुपए का आरोप लगाया गया, 6000 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि 6000 करोड़ रुपया कहां गया? जमीन में है या आसमान में है? आज तक किसी ने इसे बताने का काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

श्री निशिकांत दूबे।

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, अभी जो डिसकशन हुआ उसके बारे में मेरे दो-चार सवाल हैं। यहां बताया गया कि झारखंड की स्थिति क्या है? एक गाना है - "नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए।" मोर है कि सारे झारखंड में 40 परसेंट मिनरल है। आप स्वयं कहते हैं कि इस देश का 40 परसेंट मिनरल झारखंड प्रोडयूज करता है और चोरी हो रही है। यह सरकार रॉयल्टी के बारे में क्या कह रही है? आप रॉयल्टी बढ़ा रहे हैं क्योंकि झारखंड का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप रॉयल्टी नहीं देंगे। क्या आप रॉयल्टी बढ़ा रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि हमारे यहां पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। इस तरह से आपके पास 12वें फाइनेंस कमीशन का पैसा बाकी है। यदि पंचायत का चुनाव होगा तो क्या आप 12वें वित्त आयोग का पैसा झारखंड को देंगे? ...(व्यवधान) सवाल यह है कि झारखंड दो पार्ट में बना था - छोटा नागपुर और संथाल परगना ।

मेरा तीसरा सवाल यह है...(व्यवधान) आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, वहां छोटा नागपुर और संथाल परगना है। संथाल परगना में हमारा सबसे बड़ा कोल ब्लाक है। लेकिन वहां एक भी पावर प्लान्ट नहीं है, एक भी हास्पिटल नहीं है, एक भी एजकेशनल

इंस्टीटयूशन नहीं है, एक भी मैडिकल कालेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कालिज नहीं है, एक भी आईटीआई नहीं है, महिलाओं के लिए कालेज नहीं है और वहां के स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट के लिए संथाल परगना के लिए स्पेशल पैकेज देने जा रहे हैं? मेरे यही तीन सवाल हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, in all eight hon. Members participated in the Supplementary Demands for Grants for the State of Jharkhand and gave valuable suggestions and made observations.

Sir, the State of Jharkhand has sought additional demands worth of Rs.1242.71 crore in its First Supplementary of the current fiscal year. These demands have been necessitated on account of some emergent needs like grants awarded by the Thirteenth Finance Commission, implementation of the recommendations of the Padmanabhan Committee in respect of the judicial officers, special project for connectivity of small rural hamlets in 11 Left Wing Extremist affected districts and maintenance of roads and bridges.

The Non-Plan expenditure including the charged expenditure is going to increase by an amount of Rs.652.01 crore. The Plan budget is proposed to be augmented by an additional amount of Rs.590.70 crore. As against this demand of Rs.1242.71 crore, Rs.728.30 crore is to be received as the Thirteenth Finance Commission Grant, Rs.19.81 crore by way of surrender and reallocation of the State Plan Outlays and Rs.75.91 crore will be received as Central share. Thus, the additional burden on the State Exchequer has been estimated at Rs.418.69 crore, that is, Rs.198.69 crore in Non-Plan and Rs.220 crore for Plan expenditure. The additional burden is expected to be met through additional resource mobilization by way of better tax enforcement.

Now, I would like to reply to some of the issues raised by hon. Members. An issue has been raised by Shri Pashupati Nath Singh that compensation payment has not been made to farmers affected by drought. Compensation of Rs.304.11 crore has been sanctioned for payment. Out of this, the State Government's share is Rs.138 crore. Steps have been initiated to release this amount. This amount will be released by the end of August, 2010.

Again, another issue was raised about the drought in the State. Out of 24 districts, 12 districts have been declared as drought-affected districts where rainfall in June and July was less than 50 per cent.

Several Members have raised the issue of Panchayat elections. I would like to inform them that the elections to the Panchayati Raj Institution have not been held for the last 30 years. The State Government is committed to hold the Panchayat elections by the end of this year. Necessary amendments in the State Panchayati Raj Act are being moved in the current Session of the Parliament.

Shri Shailendra Kumar and Shri Mahtab raised the issue of implementation of the Traditional Forest Dwellers Act of Jharkhand. So far, 8700 forest dwellers have been issued *pattas* over an area of 14,633 acres of forest land. The work is in progress. Shri Pashupatinath-ji has raised that no provision has been kept for drought. A provision has been kept for Rs.259.44 crore as per the13th Finance Commission's recommendations under the head 'Calamity Relief Fund'.

Several suggestions have also been made by hon. Members regarding developmental projects, about various schemes of Government of India. I have noted them and I will convey their issues and concerns to the State Government in due time.

With these words, I commend the Supplementary Demands for Grants for the fiscal year 2010-11 for the State of Jharkhand to the House for passing.

MR. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2010-2011 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.3,4,10,12,16 to 20, 22 to 24, 26, 27, 33, 35, 38 to 44, 47, 48 and 51."

The motion was adopted.